



मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मकवानपुर, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक - २०८३

प्रस्तावना :

मकवानपुरगढी गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानिय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम मकवानपुरगढी गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :** (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन २०८३" रहेको छ। (२) यो ऐन २०८३ साल श्रावण १ देखी मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको क्षेत्रमा लागू हुनेछ।
२. **सम्पत्ति कर :** मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (१) बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
३. **भूमि कर (मालपोत) :** मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
४. **घर बहाल कर :** मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै आसिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
५. **व्यवसाय कर :** मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची (४) तथा अनुसूची (४) क) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर :** मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खाटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूची (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
७. **सवारी साधन कर :** मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची (६) बमोजिम सवारी साधन कर तथा गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्रका मोटर बाटोमा पटके सवारी कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ।
८. **विज्ञापन कर :** मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ।
९. **मनोरन्जन कर :** मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन सेवामा अनुसूची (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ।
१०. **बहाल विटौरी शुल्क :** मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका अनुसूची (९) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल विटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।



११. पार्किङ शुल्क : मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१२. ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर र च्याफ्टिङ शुल्क : मकवानपुरगढी गाउँपालिका आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर र च्याफ्टिङ सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरेवापत अनुसूची (११) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१३. सेवा शुल्क, दस्तुर : मकवानपुरगढी गाउँपालिका निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची (१२) मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । अनुसूचि १२ ख १५ थप
१४. उद्यान पार्क ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा जस्ता सम्पदाको उपभोगको प्रवेश शुल्क र पर्यटन शुल्क : मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुमा अनुसूची (१३) मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्र भित्रका उद्यान पार्क ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा जस्ता सम्पदा उपभोगको प्रवेश शुल्क तोकिए अनुसार असुल उपर गरिनेछ । प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
१५. वातावरणीय प्रदुषण तथा प्रकोप नियन्त्रण तथा निकासि शुल्क : मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको यस गाउँपालिका क्षेत्र बाहिर प्रयोग गर्न लागे वापत यस गाउँपालिका स्थानिय वासिन्दालाई पार्ने वातावरणीय जैविक, मानविय, स्वास्थ्य तथा भौतिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई कम गर्न तथा त्यस प्रकारको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न प्राकृतिक स्रोत साधन गाउँपालिका बाहिर लागे वापत अनुसूची (१४) मा उल्लेखित दरमा वातावरणीय प्रदुषण तथा प्रकोप नियन्त्रण शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१६. कर छुट : यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन ।
१७. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुने छ ।

❀ समाप्त ❀





मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

मकान्चुली, मकवानपुर, बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयकको अनुसूची १ बमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि सम्पत्ति कर रकम निर्धारण तालिका  
दररेट तपसिल अनुसार तोकिएको छ।

तपसिल:

| दर श्रेणी | सम्पत्तिको मूल्य रु.भन्दा माथि | मूल्य रु सम्मको लागि | रु.सम्म लाग्ने | कर प्रतिशत |
|-----------|--------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| १         | ०                              | ७५००००.००            | २००।           | ०          |
| २         | ७५००००.००                      | १००००००.००           | २५०।           | ०          |
| ३         | १००००००.००                     | १२५००००.००           | ३००            | ०          |
| ४         | १२५००००.००                     | १५०००००.००           | ३५०            | ०          |
| ५         | १५०००००.००                     | १७५००००.००           | ४००            | ०          |
| ६         | १७५००००.००                     | २००००००.००           | ४५०            | ०          |
| ७         | २००००००.००                     | २२५००००.००           | ५००            | ०          |
| ८         | २२५००००.००                     | २५०००००.००           | ६५०            | ०          |
| ९         | २५०००००.००                     | २७५००००.००           | ८००            | ०          |
| १०        | २७५००००.००                     | ३००००००.००           | १०००           | ०          |
| ११        | ३००००००.००                     | ३५०००००.००           | १२००           | ०          |
| १२        | ३५०००००.००                     | ४००००००.००           | २५००           | ०          |
| १३        | ४००००००.००                     | ४५०००००.००           | ३०००           | ०          |
| १४        | ४५०००००.००                     | ५००००००.००           | ३५००           | ०          |
| १५        | ५००००००.००                     | ६००००००.००           | ४२००           | ०          |
| १६        | ६००००००.००                     | ७००००००.००           | ४५००           | ०          |
| १७        | ७००००००.००                     | ८००००००.००           | ६०००           | ०          |
| १८        | ८००००००.००                     | ९००००००.००           | ८०००           | ०          |
| १९        | ९००००००.००                     | १०००००००.००          | ९५००           | ०          |
| २०        | १०००००००.००                    | १२००००००.००          | ११०००          | ०          |
| २१        | १२००००००.००                    | १४००००००.००          | १३०००          | ०          |
| २२        | १४००००००.००                    | १६००००००.००          | १५०००          | ०          |
| २३        | १६००००००.००                    | १८००००००.००          | १७०००          | ०          |
| २४        | १८००००००.००                    | २०००००००.००          | १९०००          | ०          |
| २५        | २०००००००.००                    | २५००००००.००          | २५०००          | ०          |
| २६        | २५००००००.००                    | ३०००००००.००          | २९०००          | ०          |
| २७        | ३०००००००.००                    | ३५००००००.००          | ४००००          | ०          |
| २८        | ३५००००००.००                    | ४०००००००.००          | ४५०००          | ०          |
| २९        | ४०००००००.००                    | ४५००००००.००          | ५०००००         | ०          |
| ३०        | ४५००००००.००                    | ५०००००००.००          | ६००००          | ०          |
| ३१        | ५०००००००.००                    | ०                    | १.४ प्रतिशत    | ०.१५%      |

क. घरको मुल्याङ्कन न्युनतम ३०००००। हुनेछ।

ख. घरको मुल्याङ्कन नक्सापास भए त्यस अनुसार र नभएमा स्वघोषणाबाट हुनेछ।

जरिवाना सम्बन्धमा- १ वर्षको २५ प्रतिशत, २ वर्षको ३० प्रतिशत, ३ वर्षको ४० प्रतिशत, ४ वर्षको ५० प्रतिशत, ५ वर्षको ६० प्रतिशत, ६ वर्षको ७० प्रतिशत, ७ वर्षको ८० प्रतिशत, ८ वर्षको ९० प्रतिशत, ९ वर्षको ९५ प्रतिशत, १० वर्षमाथि जति वर्ष भएपनि १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ।





मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मकान्चुली, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयकको अनुसूची २ बमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि भूमिकर तथा मालपोत कर दररेट तपसिल अनुसार तोकिएको छ।

तपसिल:

| क्रस | विवरण                               | प्रति रोपनी | प्रति कठ्ठा |
|------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| १    | २ विघा सम्मको अक्वल जग्गाको         | रु २०       | रु १५       |
| २    | २ विघा सम्मको अन्य जग्गाको          | रु १५       | रु १०       |
| ३    | २ विघा माथिको अक्वल जग्गाको         | रु ४०       | रु ३०       |
| ४    | २ विघा माथिको अन्य जग्गाको          | रु ३०       | रु २६       |
| ५    | २ विघा भन्दा माथिको आवाससिय जग्गाको | रु ५०       | रु ३५       |
| ६    | २ विघा सम्मको आवासिय जग्गाको        | रु ४०       | रु २५       |
| ७    | २ विघा भन्दा माथिको कृषि जग्गाको    | रु २०       | रु १५       |
| ८    | २ विघा सम्मको अन्य सबै कृषि जग्गाको | रु १५       | रु १०       |

द्रष्टव्य:-

जरिवाना सम्बन्धमा १ वर्षको २५ प्रतिशत, २ वर्षको ३० प्रतिशत, ३ वर्षको ४० प्रतिशत, ४ वर्षको ५० प्रतिशत, ५ वर्षको ६० प्रतिशत, ६ वर्षको ७० प्रतिशत, ७ वर्षको ८० प्रतिशत, ८ वर्षको ९० प्रतिशत, ९ वर्षको ९५ प्रतिशत, १० वर्षमाथि जति वर्ष भएपनि १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ।



मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मकान्चुली, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयकको अनुसूची ३ बमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि घर बहाल कर दररेट तपसिल अनुसार तोकिएको छ।

तपसिल:

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर र पसल भाडामा दिएमा १० प्रतिशतका दरले बहाल कर असुल उपर गरिनेछ। |
| २       | मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्तिले वा संस्थाले जग्गा तथा पोखरी भाडामा दिएमा १०                                     |





मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मकवानचुली, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयकको अनुसूची ४ बमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा व्यवसाय कर दररेट तपसिल अनुसार तोकिएको छ ।

|    | व्यवसाय दर्ताको चालु पुजी                                               | दर्ता शुल्क | नवीकरण शुल्क                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १  | रु १,००,०००/ सम्म-                                                      | १०००        | ५००                                                                                                                           |
| २  | रु १,००,०००/- देखि रु ३,००,०००/-                                        | २०००        | १०००                                                                                                                          |
| ३  | रु ३,००,००१/- देखि रु ५,००,०००/-                                        | ३०००        | १५००                                                                                                                          |
| ४  | रु ५,००,००१/- देखि रु २०,००,०००/-                                       | ४०००        | २०००                                                                                                                          |
| ५  | रु २०,००,००१/- देखि रु १,००,००,०००/-                                    | ५०००        | २५००                                                                                                                          |
| ६  | रु १,००,००,००१/- देखि रु ५,००,००,०००/-                                  | १६०००       | ८०००                                                                                                                          |
| ७  | रु ५०,००,०००१/- र माथि                                                  | २००००       | १००००                                                                                                                         |
| ८  | घ वर्ग निर्माण व्यवसायि                                                 | रु १००००    | ५००० असोज मसान्त सम्म पुष मसान्त सम्म ७००० चैत्र मसान्त सम्म १०००० असार मसान्त १५००० अर्को वर्ष देखि दोब्बर दस्तुर लाग्ने छ । |
| ९  | गाउँपालिका भित्रका क्रसर व्यवसायि                                       | १ लाख       |                                                                                                                               |
| १० | गाउँपालिका भित्रका वालुवा/पाउडर उद्योगहरु                               | ५० हजार     |                                                                                                                               |
| ११ | गाउँपालिका भित्र संचालन भएका मदिराजन्य उद्योगहरुबाट                     | १ लाख       |                                                                                                                               |
| १२ | गाउँपालिका भित्र संचालन भएको पानी तथा ह्याचरी उद्योगहरु, जडिबुटि उद्योग | २० हजार     |                                                                                                                               |
| १३ | बित्तिय संस्था                                                          | १० हजार     |                                                                                                                               |
| १४ | इन्टरनेट प्रदायक संस्था                                                 | १० हजार     |                                                                                                                               |
| १५ | क वर्गको वैट                                                            | २० हजार     |                                                                                                                               |

कृषि तथा पशु फर्म दर्तामा कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

जरिवाना सम्बन्धमा - १ वर्षको २५ प्रतिशत, २ वर्षको ३० प्रतिशत, ३ वर्षको ४० प्रतिशत, ४ वर्षको ५० प्रतिशत, ५ वर्षको ६० प्रतिशत, ६ वर्षको ७० प्रतिशत, ७ वर्षको ८० प्रतिशत, ८ वर्षको ९० प्रतिशत, ९ वर्षको ९५ प्रतिशत, १० वर्षमाथि जति वर्ष भएपनि १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।



०८३ षोष भसान्त सम्म भविकरण गर्न आउने फर्महरुको जरिवना एक पटकलाइ मिलाइ गरिएको छ ।



मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मकवानपुर, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयकको अनुसूची ५ बमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर दररेट तपसिल अनुसार तोकिएको छ ।

तपसिल:

| क्र स | विवरण                                                                                                      | परिमाण          | दर       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| १     | सालको काठ वन कार्यालयको चलानीको आधारमा                                                                     | प्रति क्युफिट   | रु ५०    |
| २     | दाउरा जर्ना                                                                                                | प्रति ट्रयाक्टर | रु ५००   |
| ३     | दाउरा जर्ना                                                                                                | प्रति ट्रक      | रु १०००  |
| ४     | वनकस खर, वावियो, मलहन, पत्ता, छवाली, पराल, बगास निगालो, लोक्ता, पटेर र अम्लिसो                             | प्रति ट्याक्टर  | रु २००   |
| ५     | वास                                                                                                        | प्रति गोटा      | १५० पैसा |
| ६     | खालि सिसि वियर                                                                                             |                 | रु १     |
| ७     | खालि सिसि मदिरा र अन्य ५०० एम एल को                                                                        |                 | १५० पैसा |
| ८     | खालि सिसि मदिरा र अन्य ५०० एम एल भन्दा मुनी                                                                |                 | १२५ पैसा |
| ९     | प्यास्टिक बोटल भाडाकुडा पुराना जुत्ता चप्पल ग्यानल र जर्किन                                                | प्रति केजि      | रु १     |
| १०    | पुन प्रयोगमा आउने थोत्रो टिन पुरानो ड्रम पुरानो कागज अखवार अन्य कागजात तथा थोत्रो काम नलाग्ने मेसिनरी औजार | प्रति केजि      | रु १     |
| ११    | प्रचलित कानुनले निषेधित गरे वाहेकका भरेका वा मारिएका पशुका                                                 |                 |          |
| १२    | हाड, सिंग खुर                                                                                              | प्रति केजि      | रु १.५०  |
| १३    | छाला ठुलो                                                                                                  | प्रति केजि      | रु ३०    |
| १४    | छाला सानो                                                                                                  | प्रति केजि      | रु १५    |
| १५    | यस गाउँपालिकामा उत्पादन भइ बाहिर निकास हुने                                                                |                 |          |
| १६    | उन प्रकृतिक, कृत्रिम र जगर                                                                                 | प्रति केजि      | ११० पैसा |
| १७    | खोटो                                                                                                       | प्रति केजि      | १५० पैसा |
| १९    | कु काठ प्रति क्युफिट                                                                                       | प्रति क्युफिट   | रु १०    |





मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मकवान्चुली, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयको अनुसूचि ६ बमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सवारी कर तथा पटके सवारी करको दररेट तपसिल अनुसार तोकिएको छ।

तपसिल:

| वार्षिक सवारी कर दररेट निम्न बमोजिम रहेको छः |                                                    |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| क्र.सं.                                      | सवारी विवरण                                        | रकम रु. |
| १                                            | बस, ट्रक, मिनि बस                                  | १२००/-  |
| २                                            | माइक्रो बसहरु                                      | ७५०/-   |
| ३                                            | ट्याक्टर, जिप, कारहरुको                            | ५००/-   |
| ४                                            | मोटरसाईकलहरुमा                                     | ५०/-    |
| ५                                            | ई रिक्साहरुमा, अटो                                 | ३००/-   |
| ६                                            | पैडल रिक्सा तथा ठेलाहरुमा                          | २५/-    |
| ७                                            | सानो ट्याक्टरहरुमा                                 | ३००/-   |
| ८                                            | टेम्पोहरुमा                                        | ३००/-   |
| पटके सवारी कर दररेट निम्न बमोजिम रहेको छः    |                                                    |         |
| १                                            | विदेशी टेलर लहरी                                   | ५००     |
| २                                            | विदेशी बस, ट्रक                                    | ३००     |
| ३                                            | विदेशी मिनि बस, मिनि ट्रक                          | १५०     |
| ४                                            | विदेशी जिपकार                                      | १००     |
| ५                                            | स्वदेशी बस, ट्रक, मिनिबस १० र १२ चक्रे             | ५०      |
| ६                                            | स्वदेशी बस, ट्रक, मिनिबस ६ र ८ चक्रे र ट्याक्टर    | ३०      |
| ७                                            | टेलर पावर, भाडाको जिपकार, टेम्पो, अटो, निजि जिपकार | २०      |





मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मकवानचुली, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयको अनुसूचि ७ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विज्ञापन कर दररेट व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट प्रचार प्रसार गर्न टाँसिने वा राखिने सामग्रीहरूमा निम्न बमोजिमको विज्ञापन कर दररेट तपसिल अनुसार तोकिएको छ।

तपसिल:

| क्र.सं. | विवरण                                                                                          | आ.व.२०८३/०८४<br>को स्वीकृत दररेट |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| १       | डि.पि.एस.१० वर्ग फिट सम्म बोर्ड                                                                | ३००/-                            |
| २       | डि.पि.एस.बोर्डहरूलाई १० वर्ग फिट भन्दा माथि प्रति वर्ग फिट                                     | ५०/-                             |
| ३       | प्रचार प्रसार पर्चा पम्पलेट प्रति पाना                                                         | १/-                              |
| ४       | व्यापारिक होर्डिङ्ग बोर्डहरूको प्रति वर्ग फिट                                                  | ५०/-                             |
| ५       | व्यापारिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनको फलेक्स प्रति वर्ग फिट                                        | २०/-                             |
| ६       | कपडाको तूल तथा फेम् नगरिएको फलेक्स ब्यानर प्रति थान प्रति पटक                                  | २००/-                            |
| ७       | व्यापारिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि घर तथा पर्खालमा लेखिएको प्रचार प्रसारहरूमा प्रति पटक    | ५/-                              |
| ८       | व्यापारिक वस्तु सेवा तथा उत्पादनको स्टल राखि प्रचार प्रसार गर्ने कार्य प्रति दिन               | १०००/-                           |
| ९       | डिजिटल होर्डिङ्ग बोर्ड प्रति थान वार्षिक                                                       | ५०००/-                           |
| १०      | डि.पि.एस.बोर्डहरूलाई १० वर्ग फिट भन्दा साना एक भन्दा बढी बोर्ड राख्ने भएमा रु.५०।०० प्रति वर्ग |                                  |

- राजनैतिक, धार्मिक, जन चेतनामूलक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषय वस्तुहरूको प्रचार सामग्रीको हकमा गा.पा.को नियमानुसार कर छुट गर्न सकिनेछ । तर यस्ता सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार गर्दा पूर्व स्वीकृत गराई तोकिएको स्थानमा गर्नु पर्नेछ । साथै डिपिएस बोर्डमा आफ्नो व्यवसायिक फर्मको नाम बाहेक अन्य कुनै संकेत थप विज्ञापनमूलक पहिचान भएमा तोकिएको दरले पूरा रकम लाग्नेछ ।





मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मक्रान्चुली, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयकको अनुसूचि ८ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मनोरञ्जन कर दररेट व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट प्रचार प्रसार गर्न टाँसिने वा राखिने सामग्रीहरूमा निम्न बमोजिमको मनोरञ्जन कर दररेट तपसिल अनुसार तोकिएको छ।

तपसिल:

| क्र.सं. | विवरण                                                         | आ.व.२०८३/०८४को स्वीकृत दररेट (रु.मा) |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| १       | व्यापार तथा अन्य मेलाहरूमा राखिने मनोरञ्जनका साधनहरूलाई दैनिक | १५०००/-                              |
| २       | बजारमा अस्थाई घुम्टि वा स्टल राखि व्यवसाय गर्नेलाई दैनिक      | १०००/-                               |
| ३       | सर्कस देखाउनेलाई दैनिक                                        | १०००/-                               |
| ४       | सिनेमा हल क वर्गका लागि वार्षिक एकमूट                         | ५५०००/-                              |
| ५       | सिनेमा हल ख वर्गका लागि वार्षिक एकमूट                         | ३३०००/-                              |
| ६       | केवल टेलिभिजन सञ्चालकलाई प्रति ग्राहक प्रति महिना             | ५/-                                  |



मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मक्रान्चुली, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयकको अनुसूची ९ बमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बहाल विटोरी शुल्क दररेट तपसिल अनुसार तोकिएको छ।

तपसिल:

| क्र.सं. | नाम               | दर(रु.मा) |
|---------|-------------------|-----------|
| १       | हाट बजार ठुलो पसल | १०००      |
| २       | हाटबजार सानो पसल  | रु.५००    |
| ३       | गाई भैसी          | रु.२५     |
| ४       | गाई भैसी          | रु २५     |





मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मक्रान्चुली, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयकको अनुसूची १० बमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पार्किङ शुल्क दररेट तपसिल अनुसार तोकिएको छ।

तपसिल:

| क्र.सं. | सवारी साधनको नाम                               | दर(रु.मा) |
|---------|------------------------------------------------|-----------|
| १       | विदेशी टेलर लहरी                               | १००       |
| २       | विदेशी बस ट्रक                                 | ७५        |
| ३       | विदेशी मिनिबस मिनि ट्रक                        | ५०        |
| ४       | विदेशी जिपकार                                  | ३५        |
| ५       | स्वदेशी बस ट्रक मिनिबस १० र १२ चक्के           | ३०        |
| ६       | स्वदेशी बस ट्रक मिनिबस ६ तथा ८ चक्के           | २०        |
| ७       | टेलर पावर भौडाको जिपकार टेम्पो अटो निजि जिपकार | १५        |
| ८       | मोटरसाइकल                                      | १०        |



मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मक्रान्चुली, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयकको अनुसूची ११ बमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोइङ, बन्जी, जम्पिङ, जिपपलायर र रयाफिटिङ शुल्क तपसिल अनुसार तोकिएको छ।

तपसिल:

- मकवानपुरगढी गाउँपालिका आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोइङ, बन्जी, जम्पिङ, जिपपलायर र रयाफिटिङ सेवा तथा व्यवसाय संचालन व्यवसायिकहरूले प्रति व्यक्तिबाट लिने सेवा शुल्कमा १० प्रतिशत गाउँपालिकालाई कर स्वरूप बुझाउनु पर्नेछ।





मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मकान्चुली, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयकको अनुसुची १२ बमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सेवा शुल्क र दस्तुरको दररेट तपसिल अनुसार तोकिएको छ।

तपसिल:

| सिफारिस दस्तुर |                                                                                    |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १.             | नक्सापास सम्बन्धि सेवा शुल्कबारे आर्थिक विधेयकको अनुसुची १२ क मा राखिए अनुसार हुने | -          |
| २              | चारकिल्लाप्रमाणित सिफारिस                                                          |            |
|                | ६ रोपनि सम्म                                                                       | रु. ३००/-  |
|                | ६ रोपनी देखि १० रोपनी सम्म                                                         | रु. ५००/-  |
|                | १० रोपनी माथि जति भए पनि                                                           | रु. १०००/- |
| ३              | घरबाटो (वस्तुगत) विवरण प्रमाणित सिफारिस तथा बाटो प्रमाणित                          |            |
|                | ६ रोपनि सम्म                                                                       | रु. ३००/-  |
|                | ६ रोपनी देखि १० रोपनी सम्म                                                         | रु. ५००/-  |
|                | १० रोपनी माथि जति भए पनि                                                           | रु. १०००/- |
| ४              | खानेपानी धारा जडान सिफारिस                                                         |            |
|                | घरायसी प्रयोजनको लागि                                                              | रु. १००/-  |
|                | व्यापारीक प्रयोजनाको लागि                                                          | रु. ३००/-  |
| ५              | विधुत मिटर जडान सिफारिस                                                            |            |
|                | घरायसी प्रयोजनको लागि                                                              | रु. २००/-  |
|                | व्यापारीक प्रयोजनाको लागि                                                          | रु. ३००/-  |
|                | सिचाइ प्रयोजनाका लागि                                                              | रु. २५०/-  |
|                | थ्रि फ्रेज मिटर जडान सिफारिस                                                       | रु. १५००/- |
|                | विधुत मिटर ठाउसारी सिफारिस                                                         | रु. २००/-  |
| ६              | घर निर्माणका लागि नक्सापास गरी काठ माग सम्बन्धी                                    | रु. ५००/-  |
| ७              | जग्गा बर्गिकरण                                                                     | रु. ३००/-  |
| ८              | गाउँपालिकाबाट हुने सिफारिस                                                         | रु. २००/-  |
| ९              | रेडियो दर्ता शुल्क                                                                 | रु. ५०००/- |
| १०             | रेडियो नबिकरण शुल्क                                                                | रु. २५००/- |
| ११             | दण्ड जरिवाना शुल्क                                                                 | रु. १०००/- |
| १२             | जलविधुत दस्तुर प्रति किलो वाट सम्मको प्रति किलो वाट अनुमति                         | रु. १०००/- |
| १३             | घरसारको लागि काठ सिफारिस                                                           | रु. १०००/- |



|    |                                                                                                                                            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १४ | व्यवसाय नाम ठाउ तथा संशोधन सिफारिस                                                                                                         | रु. ५००/-  |
| १५ | बस, ट्रक, ट्याडकीहरुको                                                                                                                     | रु. ५००/-  |
| १६ | मिनि बस, मिनि ट्रक तथा माइक्रो बसहरु                                                                                                       | रु. ३००/-  |
| १७ | जिप, कारहरु                                                                                                                                | रु. २००/-  |
| १८ | मोटरसाइकलहरुमा                                                                                                                             | रु. १००/-  |
| १९ | ई-रिक्सा तथा अटोहरुमा                                                                                                                      | रु. ५००/-  |
| २० | पैडल रिक्सा तथा ठेलाहरुमा                                                                                                                  | रु. २००/-  |
| २१ | ट्याक्टर                                                                                                                                   | रु. ५००/-  |
| २२ | टेम्पो                                                                                                                                     | रु. ५००/-  |
| २३ | घरेलु उद्योग दर्ता सिफारिस सर्जिमिन सहित                                                                                                   | रु. ५००/-  |
| २४ | पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास सम्बन्धी सिफारिस                                                                                               | रु. ५०००/- |
| २५ | कम्पनी दर्ता सिफारिस                                                                                                                       | रु. ५०००/- |
| २६ | निजि क्षेत्रको विद्यालयको आधारभुत तह अपग्रेड                                                                                               | रु. १५००/- |
| २७ | निजि क्षेत्रको विद्यालयको माध्यमिक तह अपग्रेड                                                                                              | रु. २५००/- |
| २८ | निजि क्षेत्रको विद्यालयको उच्चमावि तह अपग्रेड                                                                                              | रु. ५०००/- |
| २९ | संघ संस्था समुह दर्ता                                                                                                                      | रु. ३००/-  |
| ३० | अग्रेजी भाषामा दिइने विभिन्न सिफारिस( जन्म,मृत्यु, नाता सम्बन्ध,विवाह प्रमाणित,अविवाहित प्रमाणित,चारित्रिक संशोधन,कर चुक्ता लगायत सिफारिस) | रु. २००/-  |
| ३१ | नेपाली भाषामा दिइने सिफारिस( जन्म,मृत्यु, नाता सम्बन्ध,विवाह प्रमाणित,अविवाहित प्रमाणित,चारित्रिक संशोधन,कर चुक्ता लगायत सिफारिस)          | रु. १५०/-  |
| ३२ | आदिवासी जनजाती,दलित,मधेशी तथा पिछ्छडिएकका वर्ग प्रमाणित सिफारिस                                                                            | रु. १००/-  |
| ३३ | अपाड तथा जेष्ठ नागरिक पहिचान संग सम्बन्धित सिफारिस                                                                                         | निःशुल्क   |
| ३४ | अन्त्र ठेगाना भै यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेको यस कार्यालय अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारिको नागरिकता सिफारिस                     | रु. ३००/-  |
| ३५ | छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य उपचारतथा उपभोक्ता समिति सम्बन्धि सिफारिस                                                                            | निःशुल्क   |
| ३६ | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस                                                                                                                   | रु. ५००/-  |
| ३७ | मृत्यु पश्चात नाता प्रमाणित                                                                                                                | रु. १००/-  |
| ३८ | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन सम्म र नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस                                                                             | निःशुल्क   |
| ३९ | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिनपछि विलम्ब शुल्क                                                                                                | रु. २००/-  |
|    | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपि                                                                                                             | रु. ५००/-  |
| ४० | नाबालक सिफारिस                                                                                                                             | रु. १००/-  |
| ४१ | नेपाली नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस                                                                                                          | रु. १००/-  |
| ४२ | कोर्ट फि सिफारिस                                                                                                                           | रु. १००/-  |
| ४३ | घट्ट दर्ता तथा नविकरण प्रति महिना                                                                                                          | रु. १००/-  |



|    |                                                                                                             |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ४४ | फिराद पत्र दस्तुर                                                                                           | रु. ५०/-            |
| ४५ | मिला पत्र दस्तुर                                                                                            | रु. १००/-           |
| ४६ | सर्जमिन सेवा शुल्क                                                                                          | रु. ३००/-           |
| ४७ | संघसंस्था ,व्यवसाय तथा अन्य दर्ता प्रमाणपत्र                                                                | रु. २००/-           |
| ४८ | जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा घर कायम सिफारिस                                                                    | रु. ३००/-           |
| ४९ | जग्गा दा.खा. सिफारिस                                                                                        | रु. १००/-           |
| ५० | एकिकृत सम्पत्ति कर रसिद प्रतिलिपि पहिलो पटकका लागि                                                          | रु. १००/-           |
| ५१ | एकिकृत सम्पत्ति कर रसिद प्रतिलिपि दोश्रो पटक देखि रु १०० थप हुदै जाने                                       |                     |
| ५२ | कार्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको आफ्नो नाममा हुने सिफारिस तथा सेवा शुल्क तथा दस्तुर                     | रु. १००/-           |
| ५३ | अचल सम्पत्ति मुल्याङकन प्रमाणित तथा वार्षिक आय प्रमाणित सेवा शुल्क                                          |                     |
| क  | ५ लाख सम्म                                                                                                  | रु. ३००/-           |
| ख  | ५ लाख देखि १५ लाख सम्म                                                                                      | रु. ८००/-           |
| ग  | १५ लाख देखि ३० लाख सम्म                                                                                     | रु. १५००/-          |
| घ  | ३० लाख देखि ५० लाख सम्म                                                                                     | रु. २५००/-          |
| ङ  | ५० लाख देखि १ करोड सम्म                                                                                     | रु. ३५००/-          |
| च  | १ करोड देखि २ करोड सम्म                                                                                     | रु. ५०००/-          |
| छ  | २ करोड माथि                                                                                                 | रु. ६०००/-          |
|    | वैना जमानत वसे वापत तथा कपाली तमसुक प्रमाणित गरे वपात र घर जग्गा भाडा सम्झौता पत्र प्रमाणित गरेवापत         |                     |
| ५४ | ५ लाख सम्मको वैना जमानत                                                                                     | रु. ५००/-           |
|    | ५ लाख भन्दा माथि जति भए पनि                                                                                 | रु. १०००/-          |
| ५५ | जलश्रोत मुहान दर्ता                                                                                         | रु. १०००/-          |
| ५६ | अन्य सिफारिस                                                                                                | रु. १००/-           |
| ५७ | जलश्रोत मुहान नविकरण                                                                                        | रु. ५००/-           |
| ५८ | बिक्रीहरु                                                                                                   | प्रति थान रु        |
| ५९ | नक्सा पास दरखास्त फारम                                                                                      | रु. ५००/-           |
| ६० | विविध निवेदन फारम                                                                                           | रु. ५/-             |
|    | फुटसल खेलको प्रति व्यक्ति सेवा शुल्क प्रदेश सरकारले तोके वमोजिम                                             |                     |
|    | निजि क्षेत्रबाट निर्मित टिकटको व्यवस्था भएको पार्कहरुमा प्रति व्यक्ति सेवा शुल्क प्रदेश सरकारले तोके वमोजिम |                     |
| ६१ | जिपलाईनमा प्रति टिकट दरमा प्रदेश सरकारले तोके वमोजिम                                                        |                     |
| ६२ | नदिजन्य पदार्थ प्रति सेफिट उत्खनन निकासि                                                                    | प्रदेश सरकारले तोके |



|    |                                                                      |                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                      | बमोजिम                              |
| ६३ | माटो उत्खनन तथा निकासि                                               | प्रदेश<br>सरकारले<br>तोके<br>बमोजिम |
| ६४ | रुख / कु काठ कटान सिफारिस                                            | रु. ५००/-                           |
| ६५ | विमा रकम भुक्तानिको लागि सिफारिस सर्जिमिन                            | रु. ३००/-                           |
| ६६ | खानि बाट निस्केको ओभर वर्डनको निकासि बापतको कर प्रति सेफिट           | प्रदेश<br>सरकारले<br>तोके<br>बमोजिम |
| ६७ | विमा रकम भुक्तानिको सिफारिस                                          | ३००                                 |
| ६८ | यस कार्यालयमा वसुचिकृत हुने दस्तुर                                   | ५००                                 |
|    | सार्वजनिक बाटोमा निजि प्रयोजनाको लागि निर्माण सामग्री राख्ने सिफारिस |                                     |
|    | एक महिना सम्म                                                        | १००                                 |
|    | २ महिना सम्म                                                         | २००                                 |
|    | ३ महिना सम्म                                                         | ३००                                 |
|    | ३ महिना माथि                                                         | १५००                                |
| ६९ | यातायात कार्यालयमा इजाजत पत्रको सिफारिस                              | ५००                                 |
| ७० | निजि वन दर्ता                                                        | २०००                                |
| ७१ | निजि वन नविकरण                                                       | १०००                                |
| ७२ | सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र प्रतिलिपि शुल्क                            | रु. १००/-                           |





मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

मकवानपुर, मकवानपुर, बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयकको अनुसूची १२ क आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नक्सा पास तथा नक्सासँग सम्बन्धित दररेट गाउँपालिका क्षेत्रमा घर पर्खाल बनाउन नक्सापास गरिपाउँ भनि दिएको निवेदन बमोजिम नक्साको आधारमा घर पर्खाल बनाउन नक्सा पास गरिदिदा तपसिल बमोजिमको दस्तुर लिइनेछ।

तपसिल:

| क्र.सं. | घरको प्रकार                                                                                                                              | दर रेट ( Per Sq.ft.) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| १       | आर.सि.सि. फ्रेमस्ट्रक्चर सिमेन्ट जोडाई भवन                                                                                               | ७/-                  |
| २       | लोड वियरिङ स्ट्रक्चर सिमेन्ट जोडाई भवन                                                                                                   | ६/-                  |
| ३       | लोड वियरिङ माटो जोडाई स्ट्रक्चर भवन                                                                                                      | ५/-                  |
| ४       | लोड वियरिङ जस्ता छाना भएको भवन                                                                                                           | ४/-                  |
| ५       | टसको बिल्डिङ                                                                                                                             | ३/-                  |
| ६       | फाइवर बिल्डिङ                                                                                                                            | ३/-                  |
| ७       | प्रत्येक तल्ला थपमा रु१।०० क्रमिक रूपले दर थप हुँदै जानेछ।                                                                               |                      |
| ८       | हाइराइज भवनको हकमा तोकिएको दस्तुरमा २० प्रतिशत छुट दिइनेछ।                                                                               |                      |
| ९       | टसको लागि ११ फिट भन्दा अग्लो भएमा थप रु१।०० लाग्नेछ।                                                                                     |                      |
| १०      | कच्ची घर निर्माणको हकमा:                                                                                                                 |                      |
| ११      | कच्ची घर निर्माण गर्दा ब्लकको गाहो ढुंगा कांचो ईटा माटो जोडाई भएको जस्ता वा टायल छाना भएको घ वर्ग अन्तर्गत पर्ने भवनहरू                  | २/-                  |
| १२      | पर्खाल निर्माणको हकमा                                                                                                                    | दर रनिङ फिटमा        |
| १३      | पर्खाल निर्माण                                                                                                                           | ४/-                  |
| १४      | गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम जग्गा विकास प्लटिङ गर्नेहरूले प्लट नक्सा स्वीकृत गराउँदा देहाय बमोजिम सेवा शुल्क लाग्नेछ।     |                      |
|         | विवरण                                                                                                                                    | रकम रु.              |
|         | १. जग्गाको क्षेत्रफल २ कठ्ठा सम्म                                                                                                        | ८०००/-               |
|         | २. जग्गाको क्षेत्रफल २ कठ्ठा देखि ५ कठ्ठा सम्म                                                                                           | १२०००/-              |
|         | ३. जग्गाको क्षेत्रफल ५ कठ्ठा देखि १० कठ्ठा सम्म                                                                                          | २२०००/-              |
|         | ४. जग्गाको क्षेत्रफल १० कठ्ठा देखि २० कठ्ठा सम्म                                                                                         | ५५०००/-              |
|         | ५. जग्गाको क्षेत्रफल २० कठ्ठा भन्दा माथि जतिसुकैका लागि                                                                                  | ७००००/-              |
|         | ६. मापदण्ड लागु हुनुभन्दा अगाडी कायम भएको तर सार्वजनिक भैनसकेका हकमा प्रति कित्ता गाउँपालिकाको सक्रियतामा बाटो सार्वजनिक भएकोमा नलाग्ने। | ४००/-                |
|         | नोट: नयाँ बाटो खोल्दा माथि उल्लेखित क्षेत्रफलको आधारमा प्लटिङ सरह नै दस्तुर लाग्नेछ।                                                     |                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| म्याद थप दस्तुरः<br>नक्सा पास गराइ तोकिएको म्याद भित्र घर निर्माण कार्य पुरा नभई तोकिएको म्याद २ वर्ष भित्र म्याद थप गर्न आएमा नक्सा पासको लागि बुझाएको दरतुरमा ६ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्नेछ । २ वर्ष नाघेमा ५० प्रतिशत थप दस्तुर लिई पुन थप २ वर्ष म्याद थप गर्न सकिनेछ । |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मक्रान्चुली, मकवानपुर  
बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयको अनुसूचि १३ बमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पर्यटन शुल्क तथा मकवानपुरगढी गाउँपालिका आफ्नो क्षेत्रभित्रका उद्यानपार्क ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा जस्ता सम्पदाको उपयोग प्रवेश शुल्क तपसिल अनुसार तोकिएको छ ।

तपसिलः

| क्र. सं. | विवरण             | दर(रु.मा) |
|----------|-------------------|-----------|
| १        | पिकनिक पकाएर खाने | १०००/-    |
| २        | ड्राइ पिकनिक      | २००/-     |
| ३        | गाडि पार्किङ      | १००/-     |
| ४        | क्यामरा           | ५०/-      |
| ५        | सुटिङ तर्फ        |           |
|          | म्युजिक भिडियो    | १०००/-    |
|          | फिल्म सुटिङ       | २०००/-    |
| ६        | प्रवेश शुल्क      |           |
|          | विदेशी पर्यटक     | २०/-      |
|          | आन्तरीक पर्यटक    | १०/-      |



मकवानपुरगढी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मक्रान्चुली, मकवानपुर, बागमती प्रदेश, नेपाल

आर्थिक विधेयको अनुसूचि १४ बमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको गाउँपालिकाबाट निकासी भएमा वातावरणीय तथा प्रदुषण शुल्क असुल उपर तपसिल बमोजिमको दस्तुर लिइनेछ ।

तपसिलः

|   | परिमाण                                         | इकाई         | दर        |
|---|------------------------------------------------|--------------|-----------|
| १ | ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, रोडा तथा माटो | प्रति घनमिटर | ०/२५ पैसा |
| २ | चुन, ढुङ्गा                                    | प्रति घनफिट  | ०/२५ पैसा |